पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण -2017-18 // 676 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: 05 मई , 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- वर्ष 2017-2018 में अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण ।

शासन के पत्र सं0- 2/2017/1/3/96-का-4-2017 दि0 03-05-2017 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2017-18 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की जा चुकी है। अत: वाणिज्यकर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है:-

1- प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।

2- पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, सेवा-समाप्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।

3- किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण / समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो । इस श्रेणी के कर्मचारी अपने विकल्प के साथ सम्पूर्ण तथ्य साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करेंगे ।

4- यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद में तैनाती करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।

5- वाणिज्यकर मुख्यालय में यह प्राविधान लागू नहीं होंगे ।

6- उक्त आधार पर स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त कर्मचारियों की संख्या के 20 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय । यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो समूह-ग व घ के लिए मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

7- संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पटलों पर कदापि न की जाये ।

8- मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

9- दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये । ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किए जायें । दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है ।

645 8-5-17

10- स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31-03-2017 मानी जाएगी।

11- 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह-ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाये ।

12- **तृतीय श्रेणी के ऐसे कार्मिकों को जिनका सेवानिवृत्ति की अवशेष अवधि वाला कार्यकाल 02 वर्ष या उससे कम अवधि का रह गया है, उन्हें यथासम्भव संवेदनशील तथा तनावयुक्त पटलों पर तैनात न किया जाये।**

13- बुन्देलखण्ड में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय ।

14- सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

15- स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगें, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की जा सकती है।

16- स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956" के नियम-27 का उल्लघंन मानते हुए, उसके विरुद्ध "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999" के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर / कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाय। ऐसे कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

17- वाणिज्यकर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि दि0 30-06-2017 तक एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश और जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर तथा दिनांक 30-06-2017 के उपरान्त एक स्तर उच्च या कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगें।

18- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों के जोन के अन्तर्गत स्थानान्तरण/पटल परिवर्तन करने के लिए दिनांक 30-06-2017 तक अधिकृत हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर व वाराणसी जोन में एक से अधिक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तैनात हैं, अतः यहां तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 जोन प्रथम को जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय के कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। समिति में दोनो जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तथा दोनों जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सदस्य होगें। इसके अतिरिक्त अन्य जोन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का जोन से बाहर स्थानान्तरण एवं वाणिज्य कर मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के स्तर से किये जायेंगे।

19- करनिर्धारण एवं गैर करनिर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क- सचलदल कार्यालय - एक वर्ष

ख- वि0अनु0शा0 एवं प्रवर्तन कार्यालय- दो वर्ष

ग- कर निर्धारण कार्यालय - तीन वर्ष

घ- गैर कर निर्धारण कार्यालय - दो वर्ष

च- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) वाणिज्य कर कार्यालय को भी कर निर्धारण कार्यालय की परिधि में माना जाएगा।

(कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना कार्मिक के कर निर्धारण कार्यालय से सम्बद्ध रहने की अवधि को भी कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत मानते हुये की जाये।)

20- सचलदल से वि0अनु0शा0 में एवं वि0अनु0शा0 से सचलदल में तैनाती नहीं की जाएगी। जो कार्मिक गत वर्ष इन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात रहे हैं, उन्हे 03 वर्षों तक इन कार्यालयों में तैनात न किया जाये। इसके अतिरिक्त इन इकाईयों में तैनाती अवधि के दौरान समूह "ग" व समूह "घ" श्रेणी के जिन कार्मिकों की दूषित कार्यप्रणाली के कारण उनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है, ऐसे कार्मिकों को भी जनहित / राजस्व हित में इन इकाईयों में तैनात न किया जाये।

21- समूह "ग" के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन कर दिया जाये। तात्पर्य यह है कि स्थानान्तरित कार्मिक को समान प्रकृति के कार्य से संबंधित पटल / कार्यालय में पुन: तैनात न किया जाये।

22- विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती मुख्यालय के पत्र संख्या-1035 दिनांक 19-06-2015 द्वारा किये गये पदवार आवंटन के अनुरुप की जायेगी।

23- किसी भी कार्मिक का अन्य कार्यालय में सम्बद्धीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

24- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दबाव डलवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

25- प्राय: कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अत: ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरूद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये। इसके अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थिति में ही ऐसे कार्मिकों के जोन से बाहर स्थानान्तरण करने हेतु तर्कसंगत प्रस्ताव संलग्न प्रारुप-ख में जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से दिनांक 11-05-2017 तक मुख्यालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जाये।

26- जोन के बाहर स्वेच्छा आधार पर स्थानान्तरण हेतु समस्त अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र / विकल्प संलग्न प्रारुप-क में कर्मचारी द्वारा अपने नियंत्रक, सम्भागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20-05-2017 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसे सम्भागीय अधिकारी द्वारा संकलित करके अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर को दिनांक 24-05-2017 तक प्रेषित किया जायेगा। यदि उपरोक्त प्रस्तर-18 में निर्धारित व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश के स्तर से की जानी है, तब इन आवेदन पत्रों को सम्भागीय / जोनल अधिकारी के स्पष्ट मत / संस्तुति सहित मुख्यालय पर संवर्गवार पृथक-पृथक आवरण पत्रों के माध्यम से निर्धारित तिथि 29-05-2017 तक प्रेषित किये जायें।

27- वर्ष 2016-17 में जिन कार्मिकों द्वारा अपने संवर्ग में अथवा अन्य संवर्ग में की गयी पदोन्नति के पद को फोरगो करते हुये किन्ही कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है और इस प्रकार की पदोन्नति को मुख्यालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है, तो ऐसे कार्मिकों को उनके वर्तमान पटल / कार्यालय में किसी भी दशा में तैनात नहीं रखा जाएगा। ऐसे कर्मिकों की तैनाती कर निर्धारण / सचल दल / एडीशनल कमिश्नर (अपील) के कार्यालय में भी भविष्य में नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी यदि किसी कार्मिक द्वारा अपनी पदोन्नति को फोरगो किया जाता है तो उसे तत्काल उसके वर्तमान तैनाती कार्यालय / पटल से उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

28- कार्यात्मक आवश्यकता व राजस्व हित के दृष्टिगत बेहतर संगठनात्मक प्रबन्धन एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाग के किसी भी कार्यालय में कार्यरत समूह-ग के कार्मिक की तैनाती दि0 30-06-2017

तक एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्यकर मुख्यालय पर की जा सकती है। इस तिथि के उपरान्त एक स्तर उच्च अधिकारी अर्थात कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से तैनात किया जा सकता है।

29- वाणिज्य कर मुख्यालय तथा वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय को स्थानान्तरण की दृष्टि से एक ही कार्यालय माना जाएगा।

स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व वर्षों में वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा निर्गत समस्त आदेश एवं निर्देशों को अवक्रमित करते हुए वर्ष 2017-18 में स्थानान्तरण / पटल परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त प्राविधानों / निर्देशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तद्नुसार संशोधित माने जायेंगे।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के आदेशों के क्रम में उनसे प्राप्त दिनांक 05-05-2017 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सँख्या :: एवं दिनाँक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख सहित प्रेषितः-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदय के अवलोकनार्थ।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन / अपील / सर्वोच्च न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असि0कमिश्नर(ए) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त डिप्टी कमिश्नर/ असि0 कमिश्नर राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्वेच्छा आधार पर अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों का एक जनपद/जोन से दूसरे जनपद/जोन में स्थानान्तरण हेतु

प्रार्थना पत्र

प्रारुप-क

1. *कर्मचारी का नाम एवं आई0डी0नॅ0-- ----------*
2. *पदनाम ----------*
3. *गृह जनपद : ----------*
4. *विभाग में नियुक्ति की तिथि ---------- आगामी सेवानिवृत्ति की तिथि----------*
5. *वर्तमान तैनाती कार्यालय का पूरा नाम (जनपद सहित) :----------*
6. *वर्तमान तैनाती कार्यालय के जनपद में कब से तैनात है :----------*
7. *विगत 05 वर्षो में कर्मचारी की तैनाती का विवरण :-*

क्र0सं0	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक-- से दिनांक-- तक)
1	2012-13		
2	2013-14		
3	2014-15		
4	2015-16		
5	2016-17		

8. *स्थानान्तरण हेतु अपेक्षित जनपद/जोन का नाम (वरीयता क्रम में) :- ----------*
9. *स्थानान्तरण चाहने का कारण (प्रमाण संलग्न करें) ----------*

---

10. *मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा मेरे स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र न तो सीधे न ही किसी अन्य श्रोत से किसी उच्चाधिकारी को भेजा गया है, और न ही राजनीतिक / वाह्य दबाव डलवाया गया है।*
11. *मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि स्थानान्तरण हेतु मेरे द्वारा किसी प्रकार का गैर विभागीय अथवा राजनीतिक दबाव डलवाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जायेगा।*

दिनॉक:---------- ----------

कर्मचारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी के सेवा अभिलेख से प्रमाणित डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असि0कमिश्नर(ए) की अभ्युक्ति

1- *श्री :----------के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा प्रतिकूल कार्यवाही चल / नहीं चल रही है*

2- *श्री :----------की वर्तमान तैनाती प्रशासनिक आधार नहीं की गयी है।*

3- *कर्मचारी द्वारा स्तम्भ-9 में दिये गये कारण से सहमत / असहमत हूँ, अत: स्थानान्तरण की संस्तुति की /नहीं की जाती है।*

हस्ताक्षर पदनाम (मुहर सहित)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्यकर की स्पष्ट संस्तुति।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

-:: प्रमाण - पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल रुप में मय संलग्नक मुख्यालय को अग्रसारित किया जा रहा हैं। कर्मचारी का स्थानान्तरण इस जोन से अन्यत्र हो जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर

(मुहर सहित))

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति

प्रारुप- "ख"

1- *कर्मचारी का नाम* ----------

2- *पदनाम* ----------

3- *वर्तमान तैनाती का कार्यालय / जनपद / जोन / अनुभाग का नाम* ----------
एवं तैनाती की तिथि ----------

4- *गृह जनपद* ----------

5- *क्या वर्तमान में कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ* ----------
का पदाधिकारी है यदि हॉ तो किस पद पर व कब से
तथा स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-14 के अन्तर्गत सक्षम
प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

6- *वर्तमान तैनाती के पूर्व 5 वर्षो की तैनातियों का विवरण:-*

क्र0सं0	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक-- से दिनांक-- तक)
1	2012-13		
2	2013-14		
3	2014-15		
4	2015-16		
5	2016-17		

7- *प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में सभी*
तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये संस्तुति।

संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम (मुहर सहित)

8- *जो प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जा रहा है, उससे मैं सहमत हूँ।*

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर।
(मुहर सहित)